

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 714

Dated: 19/02/2024

Certified that the SHIV JYOTI INTERNATIONAL SCHOOL (name of the building or premises) at IPD-05 RICCO INSTITUTIONAL AREA RANPUR, TEHSIL LADPURA, DISTT. KOTA, RAJASTHAN (address) comprised of 01 basement(s) and 04 (upper floors) owned/ occupied by SHIV JYOTI INTERNATIONAL SCHOOL (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 08/02/2024 (date of inspection) in the presence of MR. NARESH GUPTA (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XI (X/ XII) With effect from 19/02/2024 for a period of 01 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. -
2. -
3. -
4. -

Issued on 19/02/2024 (date of issue) at KOTA (place) by MR. RAKESH VYAS

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: रकेश व्यास

Name: रकेश व्यास

Designation: CFO

Name & Address of Department/ Office: Magar Nigam

To

SHIV JYOTI INTERNATIONAL SCHOOL
IPD-05 RICCO INSTITUTIONAL AREA RANPUR
 (Name & Address of the Institution)
TEHSIL LADPURA DISTT. KOTA, RAJASTHAN

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

 (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

नगर निगम, कोटा दक्षिण

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KOTA SOUTH/FIRENOC/2023-24/26820
जारी दिनांक: 20-MAY-2024 वैधता दिनांक: 19-MAY-2025

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: NARESH GUPTA
आवेदक का पता: CHH 4 SABARMATI COLONY KOTA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHIV JOYTI INTERNATIONAL SCHOOL, R.P.D. 5, RANPUR, KOTA, KOTA SOUTH, KOTA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- भवन में समस्त स्टाफ व सिक्वोरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा एवं वर्ष में तीन बार स्वयं के स्तर पर मॉकड्रील आयोजित की जानी होगी।
- स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरणों को सदैव कार्यशील अवस्था में रखने होंगे।
- भवन का मौका निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारियों के द्वारा दिये गये आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना की जानी होगी।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होंगे।
- भवन का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरण कार्यशील अवस्था में नहीं पाए जाने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभिज्ञा पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को स्वतंत्र रूप से होगा।
- स्थापित किये गये फायर सिस्टम को कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु 24 घंटे प्रशिक्षित कर्मचारी/स्टाफ रखने होंगे तथा ए.एम.सी करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- अग्निशमन वाहन की सुगमता से भवन तक पहुंच सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- भवन में रोप लेडर व दो रस्से भवन की ऊंचाई जितना हर समय भवन में सुरक्षित स्थान पर रखा जाना अनिवार्य है एवं भवन में आपातकालीन सीढ़ियों/निकास द्वार अवरोध नहीं होनी चाहिये।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से ही भवन के लिए मान्य है।
- भूमि व भवन रहवासी संबंधित किसी भी प्रकार के वाद विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस आशयः में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन/परिसर में आवेदक द्वारा अग्निशमन के समस्त प्रावधान पूर्ण किये जाने के पश्चात् रूफटॉप रेस्टोरेन्ट संचालन हेतु मान्य होगा।
- आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन विभाग तक पहुंचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी (साईन बोर्ड/दूरभाष नम्बर) इत्यादि लगवाये जाने की व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।



Signed by: Jawahar Lal Jain
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KOTA SOUTH, Rajasthan
Date: 20/05/2024 11:49:03



अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा दक्षिण